राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./612/2006/धौलपुर

मदन सिंह पुत्र स्व0 दिलाबर सिंह, जाति ठाकुर, निासी पैलेस रोड,धौलपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1– मंजू रावत पत्नि स्व0 प्रेमसिंह
2– नवनीता रावत पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
3– नितन रावत पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
4– नम्रता रावत } पुत्री स्व0 प्रेमसिंह नाबालिगान व
5– निताली रावत } सरपरस्ती मंजू रावत मॉ खुद
6– वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 दिलबर सिंह
7– सावित्री देवी पुत्री स्व0 दिलबर सिंह
समस्त जाति ठाकुर, निासी पैलेस रोड,धौलपुर

..... रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित–
श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे0पी0 माथुर, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 11.2.2020

हस्तगत निगरानी अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–12–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। मण्डल के आदेश के अनुसार प्रकरण को अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दर्ज किया गया है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर के समक्ष वादी/वर्तमान अप्रार्थीगण की ओर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत भी प्रस्तुत किया गया। विपक्षी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15–10–1982 को निरस्त किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 16–2–1985 से इस आशय का निर्णय पारित किया कि यदि रैस्पो0 मदन सिंह 100 रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष नकद प्रतिभूति जमा करा देता है तो कब्जे काश्त में रह सकता है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय मण्डल के समक्ष वर्तमान रैस्पो0 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर मण्डल के निर्णय दिनांक 15–1–1990 से निगरानी को निरस्त किया गया। इसके उपरान्त प्रार्थी/वर्तमान रैस्पो0 द्वारा यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष कटैम्प्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी/वर्तमान अपीलार्थी न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा सिक्योरिटी रार्शि रुपये 100 से बढा कर 200 करने एवं आराजी खसरा नम्बर 869 से 871 में नाई, पान व

साईकिल रिपेयरिंग की 5 गुमटियां अपीलार्थी द्वारा बनवाया जाना मानते हुये 3 माह की सिविल कारावास की सजा व 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित करने व मौके पर पडे सामान को जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य इस आशय की नहीं रही थी जिससे कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना साबित होती हो। आराजी खसरा नम्बर 869 से 871 में नाई, पान व साईकिल रिपेयरिंग की 5 गुमटियां पहलने से ही बनी हुई हैं और इनसे अपीलार्थी का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। तहसीलदार ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें कहीं अंकित नहीं किया गया है कि ये दुकानें किस व्यक्ति ने कब बनवाई हैं, किराया कौन वसूलता है। अतः तहसीलदार की अस्पष्ट रिपोर्ट मात्र के आधार पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना साबित नहीं होती है और इसके आधार पर सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश से दंडित नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के तहत सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दंडित करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं रहा है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में स्पष्ट रुप से क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि जो आदेश निगरानी में माननीय मण्डल के स्तर तक बहाल रखा है उस आदेश में हस्तक्षेप कर नकद प्रतिभूति की राशि को 100 रुपये से 200 रुपये करने का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को नहीं था। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी जिससे कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना साबित होती हो। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 के द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसार 100 रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष नकद प्रतिभूति जमा करा देता है तो कब्जे काश्त में रह सकता था। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय मण्डल के समक्ष हमारे द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर मण्डल के निर्णय दिनांक 15–1–1990 से निगरानी को निरस्त किया गया था। योग्य अधिवक्ता का बहस में तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 21.12.2001 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 870 में कृषि कार्य को छोड कर नाई, पान व साईकिल रिपेयरिंग की 5 गुमटियां निर्माण कर दिया गया और इस प्रकार से स्पष्ट रुप से न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना साबित होती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों व साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय व माननीय मण्डल के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 15–10–1982 के विरुद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील शीर्षक प्रेमसिंह बनाम मदन सिंह प्रस्तुत करने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 इस आशय का पारित किया कि यदि रैस्पो0 मदन सिंह 100 रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष नकद प्रतिभूति जमा करा देता है तो कब्जे काश्त में रह सकता है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 53/85, 66/85, 74/85 प्रस्तुत होने पर माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 15–1–1990 से निगरानीयों को निरस्त किया गया। जहॉ तक कैश सीक्योंरिटी की राशि को बढाने का प्रश्न है तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 का निगरानियों में माननीय मण्डल के स्तर से परीक्षण हो जाने के उपरान्त कैश सीक्योरिटी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश हुक्म उदूली के अन्तर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता थ किन्तु पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली शीर्षक प्रेमसिंह बनाम मदन सिंह प्रस्तुत किया गया उसमें प्रार्थीगण ने मुख्य रुप से यही उज्र लिया है कि अप्रार्थी को आराजी को काश्त हेतु कैश सीक्योरिटी पर दिया गया था किन्तु उसके द्वारा कृषि कार्य से हटते हुये दुकानों की स्थापना, पत्थरों के फड तथा ईंटों के फड स्थापित करा दिए गए हैं। अतः न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना करने से अप्रार्थी को जेल भेजा जाए। स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए में यही तय किया जाना था कि आया न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना की गई या नहीं? इस बिन्दु पर तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 21–12–2001 में स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 870 में कृषि कार्य को छोड कर नाई, पान व साईकिल रिपेयरिंग की 5 गुमटियां निर्माण किया गया है। इस प्रकार जहॉ तक न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–2–1985 की अवहेलना होने का प्रश्न है वह साबित होता है क्योंकि आराजी उसे कैश सीक्योरिटी पर काश्त हेतु दी गई थी ना कि किसी प्रकार के कृषि इतर अन्य उपयोग हेतु। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यों एवं विधिक परिप्रेक्ष्य में कानून सम्मत तरीके से पारित किया गया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नही पाये जाने से हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य